S.C. CASE LAW

01. जसदीप सिंह जस्सू बनाम पंजाब राज्य

CRIMINAL APPEAL NO.1584 of 2021

(@SLP (CRL.) NO. 11816 OF 2019)

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश

केवल कथन या सामान्य इरादे से IPC की धारा 34 लागू नहीं हो सकती,जब तक कि इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है

किसी अदालत को इस प्रावधान के तहत किसी को आरोपित करने से पहले सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना होगा।

धारा 33 आईपीसी एकल कृत्य के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला को अपने अंदर लाती है। इसलिए, धारा 34 से 39 आईपीसी को आकर्षित करने के लिए, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों की एक श्रृंखला एक एकल कृत्य से संबंधित होगी, जो एक अपराध का गठन करता है।

धारा 34 आईपीसी एक सामान्य इरादे के अनुसरण में, एक के द्वारा किए गए अपराध का गठन करने वाले एक आपराधिक कृत्य

Lawspark Institute

को दूसरों में शामिल करके और आयात करके एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करता है

यह फ़ुटबॉल के खेल के समान एक टीम प्रयास है जिसमें डिफेंडर, मिड-फील्डर, स्ट्राइकर और कीपर जैसे कई पोजिशन को शामिल किया जाता है। एक स्ट्राइकर लक्ष्य को हिट कर सकता है, जबकि एक कीपर एक हमले को रोक सकता है। मैच का परिणाम, या तो जीत या हार, सभी खिलाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है, हालांकि उनकी अपनी अलग भूमिका हो सकती है। एक गोल किया गया या बचाया गया अंतिम कार्य हो सकता है, लेकिन परिणाम वही है जो मायने रखता है। विशिष्ट व्यक्तियों के विपरीत, जिन्होंने अधिक प्रभावित किया था, परिणाम खिलाड़ियों के बीच साझा किया जाता है। यही तर्क धारा 34 आईपीसी की नींव है जो उन लोगों पर साझा दायित्व बनाता है जिन्होंने अपराध करने का सामान्य इरादा साझा किया था।

02. गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल

CIVIL APPEAL NO . OF 2022 (ARISING OUT OF S.L.P. (C) NO . 13941 OF 2021)

बेंच - जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

Lawspark Institute

[अनुच्छेद 227] पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (supervisory jurisdiction) का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय के रूप में साक्ष्य की पुन: सराहना नहीं कर सकता

अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित मामलों में किफायत से किया जाता है, जैसे न्यायोचित ठहराने के लिए यदि कोई सबूत नहीं है, या निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति संभवतः निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता, जिस निष्कर्ष पर न्यायालय या न्यायाधिकरण पहुंचा हो

03.

हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड बनाम मेसर्स कंधारी बेवरेजेज लिमिटेड

CA 266 OF 2022

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न

हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक अपील में दावे के गुणदोष की जांच नहीं कर सकता है।

04. भारत संघ और अन्य बनाम शेख इस्तियाक अहमद और अन्य।

Criminal Appeal No.71 of 2022

(Arising out of SLP (Crl.) No. 7723 of 2019)

बेंच - जस्टिस एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई

Lawspark Institute

क्या एक विदेशी अदालत द्वारा एक भारतीय अपराधी, जिसे भारत प्रत्यावर्तित किया गया है, पर लगाया गया दंड भारत में इसी तरह के अपराध के लिए सजा से अधिक हो सकता है

कोर्ट ने माना कि सजा की अवधि विदेश और भारत के बीच स्थानांतरण के समझौते से नियंत्रित होगी। भारत सरकार विदेशी अदालत की सजा को तभी संशोधित कर सकती है जब ऐसी सजा "भारतीय कानून के साथ असंगत" हो।

केवल इसलिए कि विदेशी अदालत की सजा भारतीय कानून के तहत उससे अधिक है, यह "भारतीय कानून के साथ असंगत" नहीं हो जाती है।

यहां "असंगति" का अर्थ भारत के मौलिक कानूनों के विपरीत होगा।

05. दीपक शर्मा बनाम हरियाणा राज्य

Cr. A 83 of 2022

बेंच - जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी

विदेश यात्रा करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से केवल एक व्यक्ति को इसलिए इनकार नहीं किया जा

Lawspark Institute

सकता है क्योंकि उसे धारा 498 ए के तहत आरोपी के रूप में दिखाया गया है, जो उसके भाई की पत्नी द्वारा उसके भाई और परिवार के खिलाफ दायर की गई शिकायत है।

दीपक शर्मा बनाम हरियाणा राज्य

CRIMINAL APPEAL NO. 83 OF 2022

(Arising out of S.L.P.(CRL.) No. 9762 OF 2021)

बेंच - जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी

सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आभूषणों को हिरासत में लेना आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता के रूप में गठित नहीं किया जा सकता है ।

06. बी. एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड बनाम जेएमएस स्टील एंड पावर कॉरपोरेशन

CIVIL APPEAL NO. ..... OF 2022

(ARISING OUT OF SLP (C) NO. 19413 OF 2018)

बेंच - माननीय न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, माननीय न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार

CPC 1908 के आदेश 37 के नियम 3

Lawspark Institute

"बचाव के लिए अनुमति देना (सशर्त या बिना शर्त) सामान्य नियम और बचाव के लिए अनुमति का इनकार एक अपवाद"

कोर्ट ने संबंधित फैसले में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) 1908 के आदेश 37 के नियम 3 के दायरे पर चर्चा की है।

CPC का आदेश 37 'समरी प्रोसीजर' से संबंधित है और उसके नियम 3 में प्रतिवादी की उपस्थिति संबंधी प्रक्रिया शामिल है।

उक्त नियम के अनुसार, उपस्थित होने वाले प्रतिवादियों को इस तरह के मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, और बचाव के लिए अनुमति बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है जो कोर्ट या न्यायाधीश को न्यायपूर्ण प्रतीत हो।

इसमें यह भी कहा गया है कि बचाव के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोर्ट संतुष्ट न हो कि प्रतिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उसके पास बचाव के पर्याप्त मुद्दे हैं या प्रतिवादी द्वारा बचाव का इरादा तुच्छ है या कपटपूर्ण है।

07. जी.टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू (मृत) एलआर और अन्य द्वारा

CIVIL APPEAL NO. 380 OF 2022

Lawspark Institute

[@ SPECIAL LEAVE PETITION [C] NO. 6857/2017]

बेंच - जस्टिस केएम जोसेफ और पीएस नरसिम्हा

[Section 52 TP Act]

Doctrine of “Lis Pendens”and Effect of Transfer of Property Pending Suit

संपत्ति का स्थानांतरण केवल इसलिए शून्य नहीं हो जाता क्योंकि यह मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान किया गया है, धारा 52 ट्रान्स्फ़र ओफ़ प्रॉपर्टी ऐक्ट का प्रभाव यह है कि स्थानांतरण मुकदमे के परिणाम के अधीन होता है

कोर्ट ने यह भी कहा कि वास्तविक खरीद या नोटिस की कमी के खरीदार के बचाव लिस पेंडेंस के सिद्धांत के खिलाफ अप्रभावी हैं।

सूट बेचने वाले पक्ष का अधिकार को समाप्त नहीं कर देता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 में केवल यह कहा गया है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किए गए स्थानान्तरण मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

08. अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी

CIVIL APPEAL NO. 6659 OF 2011

Lawspark Institute

बेंच - न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

क्या एक इकलौती बेटी को अपने पिता की अलग-अलग संपत्ति (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले) विरासत में मिल सकती है ?

"हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण से पहले भी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार

संपत्ति के बंटवारे पर भी विरासत लागू होगी, भले ही पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो। साथ ही परिवार के अन्य संपार्श्विक सदस्यों पर उन्हें वरीयता मिलेगी"

साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि एक हिंदू महिला बिना किसी वसीयत को छोड़े मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके वारिसों के पास जाएगी

ये फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर आया है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित था|

Lawspark Institute

09. सुनील कुमार मैती बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

CA 432 OF 2022

बेंच - जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदीक

धारा 5 परिसीमा अधिनियम दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद की संस्थिती पर लागू नहीं होता है

सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा एक अपील या कोई आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने या आवेदन करने का पर्याप्त कारण था।

10. मस्त रेहाना बेगम बनाम असम राज्य और अन्य

Criminal Appeal No 118 of 2022

(Arising out of SLP(Crl) No 559 of 2022)

बेंच - न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी

भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के तहत द्विविवाह (किसी से शादी करते हुए पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी) के संबंध में एक शिकायत को रद्द करने के लिए

Lawspark Institute

"उच्च न्यायालय" पिछली शादी से संबंधित "फैमिली कोर्ट" के निष्कर्षों पर भरोसा कर सकता है

भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कार्यवाही - जो कि द्विविवाह से संबंधित है - की अनुमति देने का हाईकोर्ट का फैसला,

फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष के बावजूद कि पत्नी की पूर्व शादी नहीं हुई थी , प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा

👉 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7(1) का स्पष्टीकरण (बी) स्पष्ट रूप से फैमिली कोर्ट को किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने का अधिकार देता है। अधिनियम एक फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है और इसे सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, इस प्रकार इस तरह के निर्धारण के लिए साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम बनाता है।

👉 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 मौजूदा पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करने के अपराध से संबंधित है और

Lawspark Institute

धारा 495 उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाने के अपराध से संबंधित है जिसके साथ बाद में शादी का अनुबंध किया गया है।

Lawspark Institute